अनुकम्पा नियुक्ति पर मध्य प्रदेश एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की युगल पीठ, न्यायमूर्ति एम.आर. फड़के एवं न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र यादव ने आलोक शर्मा बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एवं अन्य की याचिका में स्पष्ट कर दिया है कि अनुकम्पा नियुक्ति कोई 'विरासत में मिलने वाला अधिकार' नहीं है। पीठ ने 28 वर्ष पुराने दावे को खारिज करते हुए कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति का उद्देश्य परिवार को तत्काल आर्थिक मदद देना है, न कि वर्षों बाद नौकरी की मांग करना।

याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता के पिता सरकारी कर्मचारी थे और वर्ष 1996 में उनकी मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के करीब 28 वर्ष बाद याचिकाकर्ता ने अनुकम्पा नियुक्ति की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि उस समय वह नाबालिग था, इसलिए अब वयस्क होने पर वह नियुक्ति का हकदार है।

युगल पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति कोई पैतृक या विरासत वाला अधिकार नहीं है।

युगल पीठ ने कहा

1. उद्देश्य तत्काल राहत का है: अनुकम्पा नियुक्ति की योजना इसीलिए बनी है, ताकि कर्मचारी की अचानक मृत्यु से परिवार पर आए आर्थिक संकट को तुरंत दूर किया जा सके। 28 वर्ष बाद इस आधार पर मांग करना योजना के उद्देश्य के खिलाफ है।

अनुकम्पा नियुक्ति 'दया' है, 'दावा' नहीं

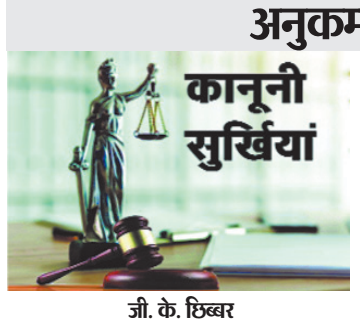

जी. के. छिब्बर

2. समय की सीमा जरूरी है: अगर हर कोई दशकों बाद दावा करने लगे तो सरकारी विभागों के लिए पद सुरक्षित रखना संभव नहीं होगा। इससे प्रशासनिक व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी।

3. अधिकार नहीं, छूट है: अनुकम्पा नियुक्ति एक 'कल्याणकारी योजना' है, 'अधिकार' नहीं। सरकार तय नियमों के तहत दे सकती है, लेकिन मांगने वाला इसे मांग नहीं सकता।

पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के पुराने फैसलों का भी हवाला दिया, जिनमें कहा गया है कि अनुकम्पा नियुक्ति के लिए मृत्यु के 'तुरंत बाद' आवेदन करना जरूरी है। लंबा इंतजार करने पर यह माना जाएगा कि परिवार ने बिना नौकरी के भी खुद को संभाल लिया है।

यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए एक नसीहत है। अक्सर देखा जाता है कि लोग वर्षों बाद अनुकम्पा नियुक्ति की मांग करते हैं।

पीठ ने कहा कि अगर वास्तविकता में आर्थिक तंगी थी तो आवेदन समय पर देना होगा। 25 से 30 वर्षों पश्चात की गई मांग को स्वीकार करना न तो कानून के हिसाब से उचित है और न ही व्यावहारिक।

कुल मिलाकर उच्च न्यायालय ने यह संदेश दिया कि अनुकम्पा का मतलब 'दया' है, 'दावा' नहीं। और दया भी तभी मांगी जा सकती है, जब जरूरत तत्काल हो।

2) 21 वर्ष पश्चात आवेदन करने पर अनुकम्पा नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश

राजस्थान उच्च न्यायालय की युगल पीठ, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा एवं न्यायमूर्ति चंद्रशेखर शर्मा ने उम्मेद सिंह बनाम सीएसआईआर एवं अन्य की याचिका में निर्णय किया है कि कर्मचारी की मृत्यु के 21 साल बाद अनुकम्पा नियुक्ति पर कब विचार किया जा सकता है। याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता के पिता टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत थे। जब उनकी मृत्यु हुई, तब याचिकाकर्ता सिर्फ 2 वर्ष 5 माह का था। पिता के पीछे पत्नी, 5 बेटियां और याचिकाकर्ता रह गए।

परिवार का पूरा बोझ दादा-दादी पर आ गया। आय का एकमात्र साधन पिता की पेंशन थी और 3 बहनों की शादी के लिए दादा को भारी कर्ज लेना पड़ा।

याचिकाकर्ता ने बालिग होने के बाद तुरंत अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। विभाग ने यह कहकर खारिज कर दिया कि बहुत देरी हो गई है और परिवार इतने वर्षों से भरण-पोषण कर रहा है तो आर्थिक संकट नहीं कहा जा सकता।

उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने कहा - सिर्फ इसलिए कि परिवार वर्षों तक जिंदा रहा, इसे इस बात का सबूत नहीं माना जा सकता कि उसका आर्थिक संकट खत्म हो गया है।

पीठ ने मुख्य तीन बातें कहीं

1. गरिमापूर्ण जीवन ही पैमाना: अनुकम्पा नियुक्ति में परिवार की आर्थिक स्थिति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने की क्षमता के संदर्भ में देखना होगा।

2. देरी नहीं हुई: आवेदक नाबालिग था, बालिग होते ही उचित समय में आवेदन किया, इसलिए देरी का तर्क नहीं चलेगा।

3. तकनीकी आधार पर खारिज नहीं: नियम में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि दूसरे पात्र सदस्यों ने पहले आवेदन नहीं किया तो बेटा अयोग्य हो जाएगा। हाइपर-टेक्निकल ग्राउंड पर दावा खारिज नहीं हो सकता।

पीठ ने अधिकारियों को याचिकाकर्ता के मामले पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए विचार करने का निर्देश दिया है।

कीर्ति सिंह की पुस्तक 'अप्सराएं: सम्मोहन से परे' का विमोचन

पौराणिक पात्रों को आधुनिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है नई कृति

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: बीएचईएल में कार्यरत लेखिका कीर्ति सिंह द्वारा रचित पुस्तक 'अप्सराएं: सम्मोहन से परे' का गरिमामयी समारोह में विमोचन किया गया।

कार्यक्रम में ऑल इंडिया बीएचईएल एम्प्लॉईज यूनियन के महासचिव रामनारायण गिरी सहित यूनियन के सदस्य सीके शर्मा, विशाल वाणी, आशीष सोनी, धर्मेंद्र गुप्ता, दीपक चौरसिया और संजीब नंदा उपस्थित रहे। पुस्तक पर चर्चा करते हुए रामनारायण गिरी ने कहा कि यह कृति पौराणिक और सांस्कृतिक संदर्भों को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। पुस्तक में अप्सराओं के अस्तित्व, मानसिक द्वंद्व और बहुआयामी व्यक्तित्व को गहराई से उजागर किया गया है।

यूनियन के सदस्यों ने पुस्तक की विषयवस्तु, लेखन शैली और समाज पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव की सराहना की। विमोचन अवसर पर लेखिका कीर्ति सिंह ने अपनी रचना प्रक्रिया के अनुभव साझा करते हुए कहा कि पुस्तक का उद्देश्य अप्सराओं से जुड़े पुराने मिथकों और रूढ़िवादिता को नए नजरिए से देखना है। उन्होंने बताया कि अप्सराएं केवल आकर्षण का केंद्र नहीं थीं, बल्कि कला, बुद्धि और स्वतंत्रता का प्रतीक भी थीं। उपस्थित अतिथियों ने पुस्तक के शोध, भाषा शैली और लेखन की प्रशंसा की।

कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शीतल पैराडाईस फेस-2 रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

(पंजीयन क्र. /डी.आर./बी.पी.एल./144343, दिनांक 18.06.2024)

क्रमांक/निर्वा.अधि./2026/03
दिनांक 01.09.2026

सूचना

संस्था के समस्त सम्माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन साधारण सम्मेलन /विशेष साधारण सम्मेलन में सम्पन्न होना है। अतः संस्था की सदस्यता सूची का प्रकाशन संस्था के नोटिस बोर्ड, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल, विकासखण्ड फंदा भोपाल को-आपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड, शाखा इन्द्रपुरी (एचईटी) पिपलानी, भोपाल एवं ए.यू. स्माल फायनेंस बैंक शाखा गोविंदपुरा, भोपाल के सूचना पटल पर दिनांक 01/09/2026 को किया गया है। यदि किसी भी सदस्य को इस पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 01/09/2026 से 09/09/2026 तक कार्यालयीन दिवस में मुझे अथवा मेरे द्वारा अधिकृत श्री अनिल कामडे, सहकारी निरीक्षक को कार्यालय- उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में दोपहर 12 से 02 बजे तक सप्रमाण लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं तथा प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण कार्यालय- उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में दिनांक 10/09/2026 को दोपहर 12.00 बजे से किया जायेगा। सूचना संस्था के समस्त सदस्यों को स्पीड पोस्ट / साधारण डाक द्वारा पृथक से प्रेषित की गई है।

मीरा देवी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
शीतल पैराडाईस फेस-2 रहवासी
रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

1455

न्यायालय तहसीलदार नजूल वृत्त एम.पी.नगर भोपाल
(7 नंबर बस स्टाप शिवाजी नगर भोपाल)

प्रकरण क्रमांक- /अ-6/2026-27

इश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदकगण श्रीमती असमा बेगम पत्नी स्व. मोहम्मद असगर, मजहर खान आ. स्व. मोहम्मद असगर एवं मोहम्मद जुबेर आ. स्व. मोहम्मद असगर निवासीगण - 135, पुराना नगर, गोविन्दपुरा हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश ने ग्राम खजूरी कलां तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित प्लाट नंबर 115-ए खसरा क्रमांक 8/1, 8/2, 13, 14, 16, 18/1, 18/2 एवं 53, 54, 55, 72, 73 रकवा 1450 वर्गफीट भूमि का फौती के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त संबंध मे किसी व्यक्ति /संस्था को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के अंदर स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नही किया जावेगा। आज दिनांक 25/08/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार
नजूल एम.पी. नगर वृत्त भोपाल

1454

कार्यालय सेवा सहकारी समिति मर्या. मातगुवां जिला छतरपुर (म.प्र.)

क्रं./आ.स./2026/क्यू दिनांक 21.08.2026

आमसभा की सूचना

सेवा सहकारी समिति मर्या. मातगुवां जिला छतरपुर म.प्र. के समस्त सदस्यों को सूचितकर निवेदन है कि संस्था की आमसभा दिनांक 11 सितम्बर 2026 दिन शुक्रवार को दिन के 11:00 बजे संस्था कार्यालय में अयोजित की गई है। जिसमें समस्त सदस्यगण की उपस्थिति प्रार्थनीय है, सभी सम्मानीय सदस्यगणों को डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से सूचना भेज दी गई है जिसमें आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। बैठक की विषयावली निम्न प्रकार है:-1. गतवर्ष की आमसभा का वाचत एवं पुष्टि। 2. वर्ष 2025-26 की अंकेक्षण टीप एवं 2025-26 के वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन। 3. वर्ष 2025-26 का पूरक बजट तथा वर्ष 2026-27 के अनुमानित बजट (आय-व्यय) की स्वीकृति। 4. संस्था में वर्ष 2026-27 के लिए अंकेक्षण की नियुक्ति बावत् विचार। 5. वर्ष 2026-27 के वार्षिक कार्यकम पारित करना। 6. अन्य विषय प्रशासक महोदय की अनुमति से।

प्रशासक/प्रबंधक
सेवा सहकारी समिति मर्या. पैक्स मातगुवां जिला छतरपुर म.प्र.

AG

दानापुर-बेंगलुरु एक्सप्रेस अब नए नंबर से प्रतिदिन चलेगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन को नियमित रूप से संचालित करने का निर्णय लिया है।

दानापुर-सर एम. विश्वेश्वरय्या टर्मिनल बेंगलुरु एक्सप्रेस अब नए नंबर 22365/22366 से प्रतिदिन चलेगी।

रेल प्रशासन के अनुसार गाड़ी संख्या 22365 दानापुर-बेंगलुरु एक्सप्रेस 1 सितंबर 2026 से दानापुर से प्रतिदिन दोपहर 2:45 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन सतना, जबलपुर और इटारसी होते हुए तीसरे दिन दोपहर 2:30 बजे सर एम. विश्वेश्वरय्या टर्मिनल बेंगलुरु पहुंचेगी। वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 22366 बेंगलुरु-दानापुर एक्सप्रेस 3 सितंबर 2026 से बेंगलुरु से रात 11:50 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन इटारसी, जबलपुर और सतना होते हुए चौथे दिन रात 12:15 बजे दानापुर पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में आरा, बक्सर, प्रयागराज छिवकी, सतना, जबलपुर, इटारसी, नागपुर, वारंगल, विजयवाड़ा सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी।

ट्रेन में कुल 24 कोच रहेंगे, जिनमें वातानुकूलित, शयनयान और सामान्य श्रेणी के कोच शामिल हैं।

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं मनीष जैन S/O स्व. श्री गुलाब चंद जैन मेरा नाम- परिवर्तित हो गया है। वर्तमान में मेरा नाम मनीष कुमार जैन S/O श्री गुलाब चंद जैन हो गया है। अब मुझे मेरे नये नाम मनीष कुमार जैन के नाम से ही जाना पहचाना व पढ़ा लिखा जावें।

AG

सूडोकु नवताल- 7888

★☆☆☆☆ सरल

5		9		8	3	2		
	2		4					8
3	8		5	2	6	1		
	7						9	5
9		3	6		8	7		4
2	6						1	
		5	2	7	1		8	6
6					4		7	
		8	9	6		4		2

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते .
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -7887 का हल

8	2	5	3	6	7	9	1	4
4	6	1	8	9	2	3	7	5
3	7	9	1	5	4	6	8	2
1	3	7	4	2	9	5	6	8
6	5	2	7	1	8	4	9	3
9	8	4	6	3	5	1	2	7
2	4	6	9	8	3	7	5	1
5	1	3	2	7	6	8	4	9
7	9	8	5	4	1	2	3	6

काकुरो पहेली - 7561

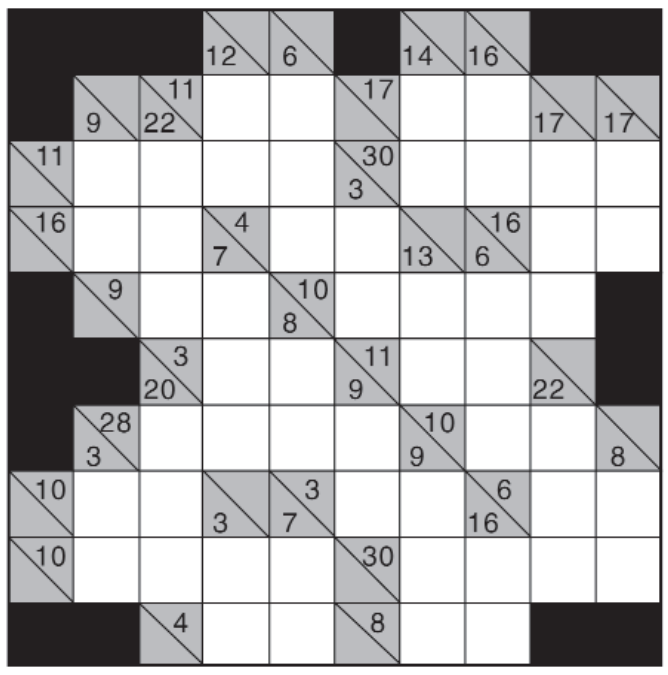

खाली वर्गों में 1 से 9 तक के अंक लिखकर नीचे से ऊपर व दाएं से बाएं की जोड़ हल्के रंग के आधे वर्ग की संख्या से मेल खानी चाहिए. किसी भी अंक का उस जोड़ में पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता.

उदाहरणत:

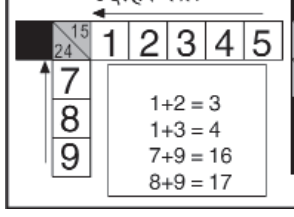

1+2 = 3
1+3 = 4
7+9 = 16
8+9 = 17

काकुरो - 7560 का हल

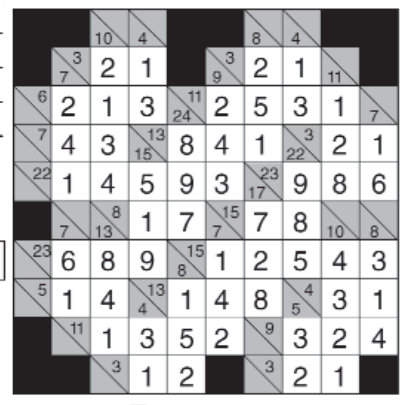

Jagrutidaur.com, Bangalore

शब्द पहेली - 8969

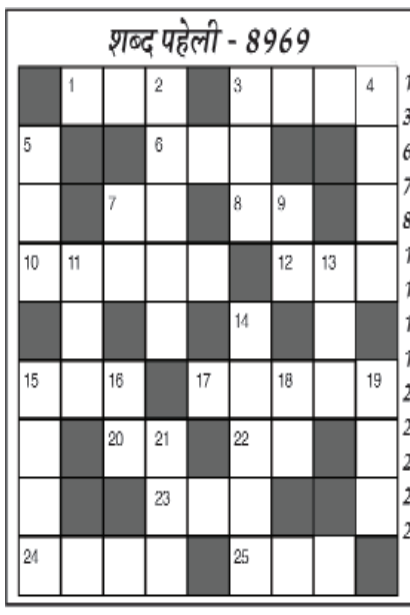

बाएँ से दाएँ

1. दांपत्य संबंध विच्छेद-3
3. रहस्य का ज्ञाता-4
6. खुशबू, सुगंध-3
7. सौ, सैकड़ा, शतक-2
8. दुलारा, लाड़ला-2
10. नाम रखना-5
12. दाम, मूल्य, दर-3
15. अग्नि, आग-3
17. सम्मान देना -2,3
20. जन्नत, अप्सरा-2
22. दाम, कीमत-2
23. स्थान-3
24. अचरज भरा कार्य-4
25. गागर, घड़ा-3

ऊपर से नीचे

2. न्यूनता, कमी-5
3. अटक-अटक कर बोलने वाला-3
4. आवश्यकता-4
5. राजी करना, मान मनुहार करना-3
7. वहम, संदेह-2
9. भाग्यशाली (अंग्रेजी-2)
11. मैला, दागदार-3
13. धोखेबाज, कपटी-3
14. मन मोहने वाला-5
15. अशांति फैलाने वाला, उपद्रवी-4
16. रक्त, खून-2
18. आनेवाला दिन-2
19. नृत्य करना-3
21. चांदी-3

शब्द पहेली -8968 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

फिल्म वर्ग पहेली- 7400

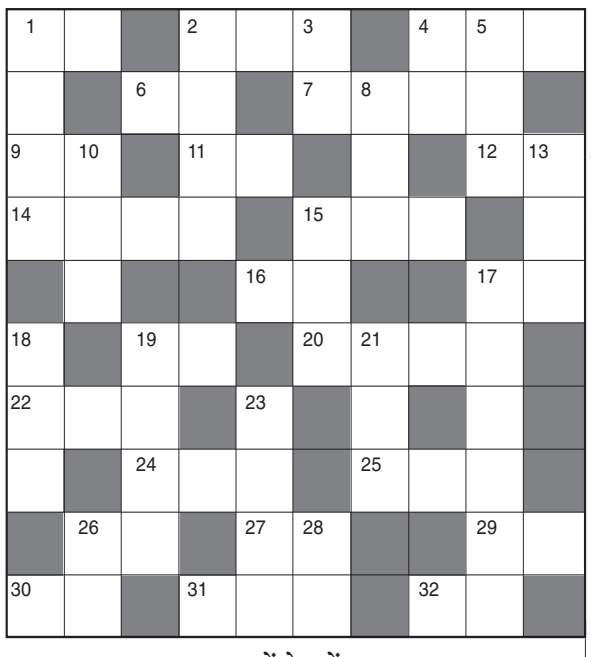

बायें से दायें:-

१. 'बरसो रे मेघा' गीत वाली फिल्म-२
२. राजेशखन्ना, धर्मेन्द्र, वहीदा की फिल्म-३
४. 'नींद कभी रहती थी आँखों में' गीत वाली फिल्म-३
६. राज सोलंकी, हिना रहमान, पायल की फिल्म-२
७. 'कहना है जो दिल से कहो' गीत वाली फिल्म-४
९. संजीवकुमार, नूतन की फिल्म-२
११. 'हम और तुम तुम और' गीत वाली फिल्म-२
१२. अभिषेक, भूमिका की फिल्म-२
१४. 'कुछ लोग यहाँ पर ऐसे है' गीत वाली फिल्म-४
१५. मकरंद देशपांडे, शबाना, श्वेता की फिल्म-३
१६. 'जब आती होगी याद मेरी' गीत वाली फिल्म-२
१७. संजय कपूर, माधुरी की फिल्म-२
१९. 'ओ रूपनगर के सौदागर' गीत वाली फिल्म-२
२०. अनिल धवन, रेहाना की फिल्म-२,२
२२. 'पर्दे में रहने दो पर्दा ना' गीत वाली फिल्म-३
२४. सुनील दत्त, साधना की फिल्म-३
२५. 'दिल जंगली कबूतर' गीत वाली फिल्म-३
२६. अभिषेक, उदय, एशा की फिल्म-२
२७. 'शरमाए काहे घबराये' गीत वाली फिल्म-२
२९. आमिर, माधुरी दीक्षित की फिल्म-२
३०. 'लगन लागी मन की लगन' गीत वाली फिल्म-२
३१. फिल्म 'मनोरंजन' में नायिका कौन थी-३
३२. शाहरूख, प्रियंका चोपड़ा की फिल्म-२

ऊपर से नीचे:-

१. ऋषि, अनिल, श्रीदेवी की फिल्म-४
२. 'नील गगन पे उड़ते बादल आ' गीत वाली फिल्म-४
३. फिल्म 'मि. बॉण्ड' में अक्षयकुमार के साथ नायिका कौन थी-२
४. जीतेंद्र, रीना राय, रामेश्वरी की 'धक धक से धड़कना' गीत वाली फिल्म-२
५. 'सपनों का शहर हो' गीत वाली अरशद वारसी, महिमा चौधरी की फिल्म-३
८. सुष्मिता की पहली फिल्म ?-३
१०. 'चूड़े वाली छमिया मिला नैन रे' गीत वाली सनी, जयाप्रदा की फिल्म-३
१३. विनोद खन्ना, बिन्दू की 'दिल करने लगा है प्यार तुम्हे' गीत वाली फिल्म-३
१५. 'जीना तेरी बाहों' गीत वाली सुनील शेट्टी, इंद्रकुमार, नम्रता की फिल्म-३
१७. प्रदीपकुमार, नर्गिस की 'दिल की गिरह खोल दो' गीत वाली फिल्म-२,२,२
१८. 'नजर के सामने जिगर' गीत वाली राहुल राय, अनु अग्रवाल की फिल्म-३
१९. ऋषिकपूर, जयाप्रदा की 'ढपली वाले ढपली बजा' गीत वाली फिल्म-४
२१. 'गोरी जो मटके बालों' गीत वाली सुनील, रवीना, करिश्मा, सोनाली की फिल्म-३
२३. राजेंद्र कुमार, राखी की 'तुम मेरी हो मेरे सिवा किसी' गीत वाली फिल्म-२,२
२६. 'हर एक घर में दिया' गीत वाली संजय सूरी, रेवती, गुल पनाग की फिल्म-२
२८. सनी, सलमान, करिश्मा, तब्बू की 'अभी सॉस लेने की' गीत वाली फिल्म-२

फिल्म वर्ग पहेली- 7399

Jagrutidaur.com, Bangalore

अष्टयोग- 7494

1	2	3		5		
	22		30		38	
		4		6	7	1
7	30		38		33	
3		5	6		1	2
	39	7	43	4	25	5
4	5					3

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों ओर के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 7493 का हल

1	3	6	7	5	2	4
5	32	3	40	1	28	7
4	3	7	5	6	1	2
3	35	2	37	7	32	6
7	4	5	2	3	6	1
2	30	1	28	4	29	5
6	1	4	7	2	5	3

Jagrutidaur.com, Bangalore

शब्दजाल - 8514

आ	व	मे	रि	दु	ला	से	ह	रा	ट	र्जी
क	ग	क	दू	इं	जी	ने	शि	या	प	नी
सू	पी	अ	न	प	ढ़	बा	द	ह	त्थ	ल
र	ग	ए	रा	जा	बा	बू	ल	ह	र	प्रे
ज	र	रा	म	न	ह	ला	कि	यो	के	मे
रो	इ	वि	मो	ग	प	म	शी	ह	स	रे
न	टी	ल	रा	व	मा	जो	रा	व	न	स
क	रि	र	र	य	र	प	म	ज	म	न
रा	म	औ	र	श्या	म	ज	जी	शा	जू	म
र	ग	ल	नो	ला	व	प	स	री	टि	प
बां	स	सा	ज	ल	ड़	का	ल	ड़	की	ल

शब्दजाल में 'मुमताज' अभिनीत 10 फिल्मों के नाम ढूंढिए. नाम उपर से नीचे व तिरछे हैं.

सेहरा, मेरे सनम, हमराज, सूरज, पत्थर के सनम, रोटी, राम और श्याम, अनपढ़, आग, लड़का लड़की

शब्दजाल - 8513 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore